<u>संचिका संख्या : 3737/4/37/2021</u>

<u>दिनांक : .28.06.2022</u>

आवेदक के द्वारा उन्हें विपक्षियों के द्वारा तंग किये जाने और आवेदन पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के आरोप के आधार पर यह संचिका के आधार पर संधारित की गई है।

पूर्व में आरक्षी अधीक्षक सिवान के पत्र के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सिवान का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों के जांच हुसैनगंज थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष किया गया। जांच क्रम में आवेदक से मोबाईल से सम्पर्क करने पर ये कहा है कि वे वर्तमान में सिल्लीगुड़ी में है। उन्होंने आवेदन में उनके द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं यथावत रखते हुए यह कहा है कि वह उसका बयान है।

जॉच के क्रम में आवेदक के ग्राम देईपुर के लोगो का 01. रामकोकिल यादव पिता स्व0 शिवनारायण यादव एवं 02. प्रदीप यादव पिता स्व0 गोपाल यादव दोनों सा0देईपुर थाना हुसैनगंज जिला सिवान का बारी बारी से आवेदन के उल्लेखीत तथ्यों के संबंध में पूछताछ किया गया पूछताछ करने पर उनलोगों द्वारा बताया गया कि आवेदक सीमा सुरक्षा बल में नौकरी करते थे जो वर्तमान में सेवा निवृत होकर अपने परिवार बच्चों के साथ सिल्लीगुड़ी में रहते है। आवेदक के मॉ पूर्व के साझेदारी में बने घर में रहती है। आवेदक के पिता पॉच भाई है। पॉच भाईयों के बीच पूर्व में मौखिक रूप से बटवॉरा हो चुका है। परन्तु दोनों पक्ष घर के सबंध में अपना अपना जमीन का कागजात दिखाते है। जिससे स्पष्ट नही हो पा रहा है कि मकान किसके नाम पर है। आवेदक के द्वारा लगाये गये आरोप 20 बोझा सरसो का फसल एवं मॉ को बॉध कर घर में रखने एवं घर में लूट पाट करने की घटना नहीं हुई है।

जॉच के क्रम में कि आवेदक श्याम बहादूर यादव पिता सवाली यादव सा0 देईपुर थाना हुसैनगंज जिला सिवान एवं द्वितीय पक्ष के विक्की यादव बीच विवाद के संबंध में थानाध्यक्ष हुसैनगंज से पूछताछ किया गया तो उन्होने बतलाया कि उपरोक्त विषय की मेरे द्वारा भी जॉच की गयी, जॉच में यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदक एवं द्वितिय पक्ष आपस में खास पट्टीदार है और दोनों के बीच आपसी जमीन बटॅवारा को लेकर विवाद चल

रहा है। इस संबंध में बटवॉरा के लिए माननीय न्यायालय में वाद सं0—302/2003 विचारधीन है। इसी विवाद को लेकर श्याम बहादूर यादव द्वारा द्वितिय पक्ष के विरूद्ध बढ़ा चढ़ा कर वरीय पदाधिकारी के यहॉ आवेदन दिया जाता है। दोनो पक्षों के विरूद्ध धारा—107 द0प्र0स0 के अन्तर्गत हुसैनगंज थाना द्वारा अप्राथमिकी सं0—165/2021 दिनांक 10.09.2021 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन अनुमंडल दण्डाधिकारी महोदय, को भेजा गया है। थानास्तर से निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष हुसैनगंज द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें दिनांक 12.01.2022 के आदेश के द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। पुनः दिनांक 06.05.2022 के द्वारा स्मारित किया गया परन्तु आवेदक का प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों के आलोक में इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson